न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/567

1. रामकिशन पुत्र देवा जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गोपाल पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी ।
   1/2. माधो पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी ।
   1/3. दुर्गालाल पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी ।
   1/4. राधेश्याम पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर लाल पुत्र श्री रामकिशन जाति माली निवासी ग्राम छापडदा तहसील व जिला बून्दी
2. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री श्री रामकिशन पत्नी श्री हाबूलाल ।
3. श्रीमती गोपाली बाई पुत्री श्री रामकिशन पत्नी श्री मोहन लाल जाति माली निवासी नैनवा रोड शिव कॉलोनी, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री पुरूषोत्तम पंचोली, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छापडी तहसील व जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा कुल 02 किता की 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खाते एवं कब्जे की भूमि है । प्रतिवादी ताकत के बल पर जबरदस्ती कानून को हाथ में लकर वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे और उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेपा नहीं करे ।

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.07.2008 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.07.2008 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 15.12.2011 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

7. तत्पश्चात् वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रस्तुत वाद में संशोधन करने की अनुमति चाही ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.03.2012 को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वाद में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने का आदेश पारित किया । इसके उपरान्त वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संशोधित वाद पेश किया गया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2016 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । प्रतिवादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया गया था परन्तु उसके पश्चात् प्रतिवादी न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनकी ओर से कोई पैरवी हेतु उपस्थित हुआ है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं की गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

11. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । यह दावा पहले दिनांक 07.07.2008 को खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में

करने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा वादी अपीलान्ट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया । प्रकरण रिमाण्ड होने से उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अपने निर्णय से वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार कृषक हैं और काबिज काश्त हैं । दौराने वाद रेस्पोडेन्टगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया गया इस कारण वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए उक्त वाद में संशोधन की अनुमति प्रदान की गई है जिस पर उक्त वाद में संशोधन किया गया । रेस्पोडेन्ट ने कब्जे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, रेस्पोडेन्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है फिर भी वादी का वाद खारिज किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2016 निरस्त फरमाया जाकर वादी अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश कर निवेदन किया था कि वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी का कब्जा है प्रतिवादी वादी को अपनी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं इसलिए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

14. प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर सन् 1973 को उनके द्वारा क्रय की गई थी और कब्जा प्राप्त किया था, तब से उनका इस आराजी पर कब्जा चला आ रहा है । उक्त विक्रय पत्र अंपजीकृत है जिसे जिला कलक्टर से इम्पाउण्ड करवा लिया गया है । प्रतिवादी के द्वारा पेश किया गया दावा 67/91 भी विचाराधीन है । अतः वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। इसके उपरान्त प्रतिवादी के उपस्थित नहीं आने के कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई और दिनांक 07.07.2008 को अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज कर दिया जिसकी अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय हाजा ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया । इसके उपरान्त अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का प्रस्तुत कर वाद में संशोधन की अनुमति चाही थी जिसमें अपीलान्ट ने यह निवेदन किया था कि प्रतिवादी भंवर लाल ने अक्टूबर 2011 में बलपूर्वक आराजी पर कब्जा कर लिया है । अतः संशोधन की अनुमति प्रदान की जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 05.03.2012 के द्वारा स्वीकार करते हुए वाद में संशोधन की अनुमति प्रदान की और वादी ने संशोधित दावा पेश कर दिया । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से वादी का उक्त वाद खारिज कर दिया ।

15. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न बयान वादी क्रम 1/1 गोपाल है इसके अलावा गवाह मोहन लाल के बयान हैं । गवाह बयानों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं । दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में संलग्न प्रदर्श– 1 नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 के अनुसार वादग्रस्त आराजी रामकिशन वल्द देवा कौम माली के नाम खातेदारी में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 138 दिनांक 14.05.2010 से विरासत रामकिशन वल्द देवा के

स्थान पर गोपाल, माधूलाल, दुर्गालाल, राधेश्याम पिसरान रामकिशन पुष्पा, गोपाली पुत्रियॉ रामकिशन कौम माली के देह खाते में दर्ज करना स्वीकार हुआ का नोट अंकित है । इसके अलावा कोई भी दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया है और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उनके द्वारा क्रय की गई है परन्तु क्रय सम्बन्धी कोई दस्तावेज विक्रय पत्र आदि पेश नहीं किया है और कब्जे के समर्थन में कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज भी पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय में इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है और वादी के लायक अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई है । वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार कृषक हैं उनके द्वारा यह कथन करते हुए दावा पेश किया गया है प्रतिवादी उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं इसके उपरान्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का पेश कर वाद में संशोधन किया गया जिसमें कथन किया है कि दौराने वाद प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल कर कब्जा वापस वादी को दिलाया जावे ।

16. प्रतिवादी ने यद्यपि अपने जवाबदावा में यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर वर्ष 1973 से कब्जा चला आ रहा है । उनके द्वारा यह आराजी वर्ष 1973 में जरिये अपंजीकृत दस्तावेज से क्रय की है प्रथम तो 100/– रूपये से अधिक मूल्य की किसी अचल सम्पत्ति का बेचान अपंजीकृत दस्तावेज से नहीं किया जा सकता दूसरा प्रतिवादीगण ने अपने इन कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में वादी जो कि वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार कृषक हैं उनके द्वारा पेश किये गये राजस्व रिकॉर्ड एवं गवाहों के बयान के आधार पर दावा वादी डिक्री होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2016 निरस्त किया जाता है । दावा वादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.8.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/567

1. रामकिशन पुत्र देवा जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामाः–
   1/1. गोपाल पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी ।
   1/2. माधो पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी ।
   1/3. दुर्गालाल पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी ।
   1/4. राधेश्याम पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. भंवर लाल पुत्र श्री रामकिशन जाति माली निवासी ग्राम छापडदा तहसील व जिला बून्दी
2. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री श्री रामकिशन पत्नी श्री हाबूलाल ।
3. श्रीमती गोपाली बाई पुत्री श्री रामकिशन पत्नी श्री मोहन लाल जाति माली निवासी नैनवा रोड शिव कॉलोनी, बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 179/दावा/2007

1. रामकिशन पुत्र देवा जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामाः–
   1/1. गोपाल पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी ।
   1/2. माधो पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी ।

1/3. दुर्गालाल पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी ।
1/4. राधेश्याम पुत्र रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
1/5. पुष्पाबाई पुत्री रामकिशन जाति माली निवासी रिहाना तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
1/6. गोपाली पुत्री रामकिशन जाति माली निवासी मधुवन कॉलोनी, बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. भंवर लाल पुत्र रामकिशन जाति माली ग्राम छापरडा तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 21.08.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री पुरूषोत्तम पंचोली एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2016 निरस्त किया जाता है । दावा वादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 21.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

21.8.18

(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा